न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा ।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–648/2025

श्रीमती सावित्री देवी **बनाम** सरकार आदि

दिनांक–15.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 3ख पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 3ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण

प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 3ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/निगरानीकत्री ने विचारण न्यायालय की पत्रावली के विचारण के दौरान बीमार हो गयी, जिससे दवा इलाज हेतु उसे परिवार के अन्य सदस्यों के पास बाहर शहर जाना पड़ा। इस कारण आदेश की जानकारी न हो पाने तथा आदेश की जानकारी होने के पश्चात बीमारी में पैसा खर्च हो जाने के कारण तत्काल पैसों का प्रबन्ध न हो पाने के कारण निगरानी समय से प्रस्तुत नहीं की जा सकी हैं। प्रार्थिनी ने जानबूझकर कर गलती नहीं किया है, बल्कि बीमार पड़ जाने के कारण व पैसों की तंगी के कारण हुई है, जो क्षमा योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता को मियाद की छूट देते हुए निगरानी को गुण–दोष पर निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानी प्रस्तुत करने में करीब नौ माह का विलम्ब हुआ है तथा प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि निगरानी प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह बीमार होने के कारण इलाज के लिए बाहर जाने के कारण हुआ है। इसी बिन्दु पर **पूनम व अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011(4) एस.सी. सी.डी. पेज–2125 सुप्रीम कोर्ट एवं सैनिक सिक्योरिटी बनाम शील बाई 2008(71) ए.एल.आर. 302 (एस.सी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा के प्रश्न पर अवधारण करते समय न्यायालय को कठोर एवं तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अपितु व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए एवं तकनीकी न्याय कर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा ऊपरवर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र 3ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मु0 1,000/–(एक हजार) रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, अधिरोपित हर्जा एक सप्ताह के अन्दर अदा किया जाए, यदि नियत अवधि के अन्दर हर्जा अदा नहीं किया जाता है, तो यह आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। बाद हर्जा अदायगी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के समक्ष दिनांक–17.08.2026 को पेश हो। पक्षकार नियत तिथि को माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हो।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–15.07.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.15 15:26:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court